



जनपद हमीरपुर

थाना सुमेरपुर

दिनांक 23.08.2026

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 282/2026 धारा 103(1) BNS में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 23.08.2026 को थाना सुमेरपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 282/2026 धारा 103(1) BNS में वांछित अभियुक्त छोटू सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह परिहार पुत्र ज्ञान सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम इंगोहटा, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को ग्राम इंगोहटा स्थित उसके खेत में ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डण्डा, मृतक की खून लगी शर्ट एवं चप्पल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 238 BNS की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.08.2026 को अभियुक्त छोटू उर्फ योगेन्द्र सिंह परिहार अपने चाचा मृतक योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ भूरे सिंह चन्देल के साथ शिवानी ढाबा पर खाना खाने गया था, जहाँ दोनों के बीच गाली-गलौज एवं विवाद हुआ। घर वापस आते समय भी विवाद जारी रहा। इसी दौरान अभियुक्त ने घर के बरामदे में रखे डण्डे से अपने चाचा के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना को दुर्घटना का रूप देने एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा शव को खींचकर जीने (सीढ़ियों) पर रख दिया गया तथा घटना में प्रयुक्त डण्डा, मृतक की खून लगी शर्ट एवं चप्पल को ट्यूबवेल के पास झाड़ियों में छिपा दिया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त सामान बरामद कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

छोटू सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह परिहार पुत्र ज्ञान सिंह (उम्र करीब 26 वर्ष) निवासी ग्राम इंगोहटा, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर,।

गिरफ्तारी का स्थान

ग्राम इंगोहटा में अभियुक्त का खेत ट्यूबेल के पास, थाना क्षेत्र सुमेरपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 अदद आलाकत्ल डण्डा
- 01 अदद मृतक की खून लगी सफेद हाफ शर्ट
- 01 जोड़ी चप्पल (मृतक)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 पवन कुमार पटेल, थाना सुमेरपुर
2. उ0नि0 मनीष पटेल, थाना सुमेरपुर
3. का0 सुमित कुमार यादव, थाना सुमेरपुर
4. का0 शुभम, थाना सुमेरपुर

